प्राक्कथन

मार्च 2013 को समाप्त वर्ष की रिपोर्ट भारतीय सीमाशुल्क इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली (आईसीईएस 1.5) पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

राजस्व प्राप्तियों -संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के तहत की जाती है।

इस रिपोर्ट में शामिंल टिप्पणियाँ वर्ष 2013-14 के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से ली गई थीं।